न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 159/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रूपाराम पुत्र हीराराम जाति गुर्जर निवासी-गुर्जरों की ढाणी फता खेड़ा, झाला की चौकी, तहसील जिला-पाली राज0		तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/07/2017

उपस्थितः. 1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 05/02/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा- ग्राम बलाडा पटवार हल्का तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 1136 रकबा 19-19 बीघाा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त भूमि को आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी वादी एवं उनके भाईयों कमशः नारायणलाल, लक्षमण व शिवदान सभी के द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की गई थी। एवं भूमि सभी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। तब वादी के भाई नारायणलाल व लक्षमणराम ने अपने हिस्से की भूमि को मीठालाल पुत्र गोकलराम, हेमाराम पुत्र मीठाराम जाति माली निवासीगण बर को जरिये पंजीबद्ध बेचान के बेचान कर दी थी। जो उनके स्थान पर इन खरीददारान का नाम 1/2 हिस्से में एवं शेष 1/2 हिस्से की भूमि मे वादी व उनके भाई शिवदान का नाम चला रहा है, नकल चालू जमाबंदी साथ पेश है। वादी जो कि स्वर्गीय शिवदान जो अविवाहित थे, जिनकी कोई औलाद नही है न ही कोई पत्नि ही है तथा स्वर्गीय शिवदान ने अपने जीवन काल अपने हक हिस्से की भूमि को लेकर किसी भी व्यक्ति को भूमि का बेचान, रहन व अन्य हस्तातंरण नही किया गया है। स्वर्गीय शिवदान ने वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर अपने भाईयो की सहमति से तथा पारिवारिक प्रबन्ध करते समय उक्त विवादित आराजी वादी के हक में रखे जाने एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की बात कही थी। एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर निर्विवाद रूप से काश्त करता आ रहा है। जिस बाबत दिनांक 14.07.2017 को लक्ष्मणराम, नारायणलाल की पत्नि पानीदेवी एवं उनके परिवार के लोगों की पूर्ण सहमति से एक सहमति पत्र वादी रूपाराम के हक मे निष्पादित किया गया है। जिसकी फोटो प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। इसलिए वादी अपने हक हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का बहक वादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। दिनांक 14.07.2017 को वादी द्वारा सहमति पत्र के आधार पर विवादित आराजी को राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम दर्ज कराने बाबत पटवारी एवं तहसीलदार जैतारण से निवेदन किया तो पटवारी व तहसीलदार जी ने नाम दर्ज करने से स्पष्ट मना दिया एवं कथन किया कि न्यायालय में जाकर कार्यवाही करो व वादपत्र पेश करो तब यह वादपत्र घोषणा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 14.07.2017 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का इन्द्राज कराने बाबत प्रतिवादी ने निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा नाम दर्ज नही करने से स्पष्ट रूप से इंकार होने पर बमुकाम बलाड़ा तहसील जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ है तो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब पेश किया कि सहमति के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण नही किया जा सकता हैं।

बहस वादी सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाबदावा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा- ग्राम बलाडा पटवार हल्का तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 1136 रकबा 19-19 बीघाा किस्म बारानी दोयम की भूमि में शिवदान का नाम दर्ज हैं जो कि नाऔलाद फौत हो चुका हैं, वादी अपने भाईया की सहमति के आधार पर शिवदान के हिस्से की भूमि में खातेदार घोषित होना चाहता हैं। लिहाजा वादी को सहमति के आधार पर उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित नही समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner